संख्या-4/2016/170/64-2-2016-1(141)/2003

प्रेषक,

डा0 हरिओम,

सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण,उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
2. समस्त मण्डलायुक्त,उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश ।

पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2 लखनऊः दिनांकः 12 अप्रैल,2016

विषयः- उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) पूर्वदशम् छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) नियमावली,2016 के कार्यान्वयन के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) पूर्वदशम् छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) नियमावली,2016 के प्रस्ताव को मा0 मंत्रि परिषद की बैठक दिनांक 30 मार्च,2016 में स्वीकार कर लिया गया है। उक्त नियमावली कार्यालय ज्ञाप संख्या-169/64-2-2016-1(141)/2003,दिनांक 12 अप्रैल,2016 द्वारा निर्गत कर दी गयी है। अतः तत्सम्बन्धी उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) पूर्वदशम् छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) नियमावली,2016 की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है।

संलग्नक-यथोक्त ।

भवदीय,

(डा0 हरिओम)

सचिव ।

संख्या-4/2016/170(1)/64-2-2016-1(141)/2003-तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

--- 2 ---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

2. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/नियोजन/न्याय/समाज कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/विकलांग कल्याण/व्यावसायिक शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/कृषि शिक्षा/उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/ पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश शासन।
3. प्रमुख स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव,उत्तर प्रदेश शासन ।
4. निदेशक, समाज कल्याण/अल्पसंख्यक कल्याण/विकलांग कल्याण,उच्च शिक्षा/प्राविधिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/व्यावसायिक शिक्षा/महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा/पंचायतीराज,उत्तर प्रदेश ।
5. निदेशक,सूचना विभाग,उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. निदेशक,एन0आई0सी0 योजना भवन,लखनऊ ।
7. निदेशक,कोषागार,जवाहर भवन,लखनऊ।
8. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक,पिछड़ा वर्ग कल्याण,उत्तर प्रदेश।
9. समस्त जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,उत्तर प्रदेश ।
10. समस्त जिला विघालय निरीक्षक,उत्तर प्रदेश ।
11. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,उत्तर प्रदेश ।
12. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3 उत्तर प्रदेश शासन।
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राकेश कुमार)
अनु सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश शासन

पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-2

संख्या-169/64-2-2016-1(141)/2003

लखनऊः दिनांक : 12 अप्रैल,2016

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) पूर्वदशम् छात्रवृत्ति (कक्षा 9 - 10) नियमावली-2016

1	**नाम**		यह नियमावली उत्तर प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) **पूर्वदशम छात्रवृत्ति (कक्षा9-10) नियमावली-2016** कहलायेगी।
2	**उद्देश्य**		इस योजना का मुख्य उद्देश्य पूर्वदशम् कक्षाओं (कक्षा 9-10) में विभिन्न शासकीय,शासकीय सहायता प्राप्त एवं मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में शिक्षा ग्रहण कर रहे अन्य पिछड़े वर्ग के गरीब माता-पिता/अभिभावकों के आश्रित छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की सुविधा प्रदान करना है।
3	**प्रसार / विस्तार**		इस नियमावली से सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में पढ़ने वाले वे छात्र /छात्रायें आच्छादित होंगे, जो उत्तर प्रदेश के स्थायी /मूल निवासी हों।
4	**प्रारम्भ होने की तिथि**		इस नियमावली के प्राविधान माह अप्रैल 2016 से प्रारम्भ होने वाले शिक्षण सत्र से लागू होंगे।
5	**परिभाषा**		
	(i)	केन्द्र सरकार	'केन्द्र सरकार'' का तात्पर्य भारत सरकार से है।
	(ii)	राज्य सरकार	''राज्य सरकार'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।
	(iii)	निदेशालय	''निदेशालय'' का तात्पर्य पिछडा वर्ग कल्याण निदेशालय उत्तर प्रदेश से है।
	(iv)	निदेशक	**''**निदेशक'' का तात्पर्य निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण उत्तर प्रदेश से है।
	(v)	अभ्यर्थी/छात्र	''अभ्यर्थी'' का तात्पर्य किसी ऐसे विद्यार्थी से है जो

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

			उत्तर प्रदेश का स्थायी/मूल निवासी हो तथा उत्तर प्रदेश में केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित अथवा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में पूर्वदशम कक्षाओं (कक्षा 9 -10) में संस्थागत छात्र के रूप में शिक्षा ग्रहण कर रहा हो। छात्र का अभिप्राय छात्र और छात्राओं दोनों से है।
	(vi)	शिक्षण संस्था	''शिक्षण संस्था'' का तात्पर्य विधि द्वारा स्थापित समस्त शासकीय एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से है।
	(vii)	अन्य पिछड़ा वर्ग	''अन्य पिछड़ा वर्ग'' का तात्पर्य उन जाति /जाति समूहों से है,जो अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग तथा सामान्य वर्ग के अन्तर्गत न आते हों तथा केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के अधिसूचित अन्य पिछडे वर्ग की सूची में शामिल हों। अल्पसंख्यक श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं से आच्छादित होंगे।
	(viii)	बैंक	′बैंक'' का तात्पर्य बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 द्वारा विनियमित ऐसे अनुसूचित व्यवसायिक बैंक से है, जिसमें कोर बैंकिंग एवं NEFT/RTGS के माध्यम से धनराशि अन्तरण की सुविधा उपलब्ध हो तथा पी0एफ0एम0एस0 (पब्लिक फाइनेन्सियल मैनेजमेन्ट सिस्टम) पोर्टल में पंजीकृत हो।
	(ix)	शैक्षणिक सत्र	शैक्षणिक सत्र का तात्पर्य प्रत्येक वर्ष 01 अप्रैल से प्रारम्भ होकर अगले वर्ष 31 मार्च तक के शिक्षण सत्र से है।
	(x)	छात्रवृत्ति का मूल्य	सम्पूर्ण पाठ्यक्रम अवधि में छात्रवृत्ति के अन्तर्गत निम्नलिखित देय धनराशियाँ सम्मिलित होंगी:-
			(क) रू0 150/- प्रतिमाह, अधिकतम 10 माह हेतु भुगतान किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

			(ख) वार्षिक तदर्थ अनुदान के रूप में रू0 750/- एकमुश्त देय होगी।
	(xi)	अभिलेखों का एकत्रीकरण एवं संरक्षीकरण	जनपद स्तर पर प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने वाले एवं लाभान्वित होने वाले छात्रों/शिक्षण संस्थानों से सम्बन्धित समस्त अभिलेखों का समुचित रख रखाव जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
6	**अर्हता**		छात्रवृत्ति हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी निम्नलिखित शर्तो /प्रतिबंधों के अधीन पात्र होंगें :-
		(i)	ऐसे अभ्यर्थी ही इसके पात्र होंगे, जो उत्तर प्रदेश के स्थाई/मूल निवासी हों तथा उत्तर प्रदेश में स्थित शासकीय/उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्ड्री एजूकेशन (सी0बी0एस0ई0) अथवा इण्डियन सर्टिफिकेट आफ सेकेन्ड्री एजेकेशन (आई0सी0एस0ई0) से मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में संस्थागत छात्र के रुप में अध्ययनरत हों।
		(ii)	ऐसे अभ्यर्थी, जिनके माता-पिता/अभिभावक की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय दो लाख रूपये से अधिक न हो।
		(iii)	एक ही माता-पिता/अभिभावक के सभी बच्चे योजना का लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगे।
		(iv)	इस योजना के अधीन छात्रवृत्ति पाने वाला कोई भी छात्र अन्य कोई छात्रवृत्ति नहीं लेगा। यदि छात्र को पहले से कोई अन्य छात्रवृत्ति मिल रही है या वह कोई अन्य छात्रवृत्ति लेना चाहता है तो उसे दोनो में से एक छात्रवृत्ति, जो उसके लिए अधिक लाभप्रद हो, के लिए अपना विकल्प देना होगा। यह विकल्प वह शैक्षिक संस्था प्रमुख को देगा जो इसे जिला

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

			पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। यदि छात्र कोई अन्य छात्रवृत्ति प्राप्त करना चाहता है तो जिस दिनांक से वह अन्य छात्रवृत्ति स्वीकार करेगा उस दिनांक से इस योजना के अधीन उसे छात्रवृत्ति का भुगतान बन्द कर दिया जायेगा। केवल तदर्थ अनुदान प्रदान किया जायेगा।
7	**मूल निवास का अनुमन्य साक्ष्य**		
			अभ्यर्थी के तहसील स्तर से जारी आय, जाति प्रमाण पत्र में अंकित निवास विवरण के आधार पर छात्र को छात्रवृत्ति अनुमन्य की।
8	**माता-पिता / अभिभावक की आय के संबंध में अनुमन्य साक्ष्य**		
			माता-पिता अथवा अभिभावक की आय के सम्बन्ध में निम्नलिखित साक्ष्य अनुमन्य होंगे :-
		(i)	अभ्यर्थी के माता-पिता या पति या अभिभावक, जैसा भी लागू हो, के परिवार की समस्त स्रोतों से प्राप्त वार्षिक आय के सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी / तहसीलदार द्वारा प्रदत्त आय प्रमाण-पत्र, जो राजस्व परिषद / ई-डिस्टिक्स की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से उपलब्ध हो।
		(ii)	अभ्यर्थी के माता-पिता या पति या अभिभावक, जैसा भी लागू हो, द्वारा लिये जाने वाले मकान किराये भत्ते को ''आय'' में शामिल नहीं किया जायेगा, यदि इसे आयकर के प्रयोजन के लिए छूट की अनुमति दी गयी हो।
		(iii)	आय प्रमाण-पत्र केवल एक बार अर्थात प्रथम प्रवेश के समय ही लिया जायेगा और यह आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि तक मान्य होगा। यदि छात्र द्वारा किसी अन्य विद्यालय में नई कक्षा में प्रवेश लिया जाता है तो पुनः आय प्रमाण पत्र देना होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

9	**मास्टर डाटाबेस में पंजीकरण-**		
		(i)	प्रदेश की समस्त शासकीय, शासकीय सहायता प्राप्त, मान्यता प्राप्त एवं अन्य प्राइवेट शिक्षण संस्थानों को स्वयं शिक्षण संस्थान से संबंधित समस्त आवश्यक विवरण यथा-शिक्षण संस्थान का नाम, शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त करने की तिथि और वैधता सीमा, स्वीकृत पाठ्यक्रम, वर्गवार सक्षम स्तर से स्वीकृत सीटो की संख्या आदि निर्धारित प्रारूप पर आनलाइन भरकर "मास्टर डाटाबेस" में प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल तक सम्मिलित होना होगा। मास्टर डाटाबेस में निर्धारित तिथि तक सम्मिलित होने वाली शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र ही छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु आवेदन करने के पात्र होगे। इस नियमावली के लागू होने के उपरान्त प्रथम वर्ष होने के कारण सिर्फ शैक्षिक सत्र 2016-17 के लिये मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने की अन्तिम तिथि 15 मई,2016 होगी।
		(ii)	उक्त मास्टर डाटाबेस में प्रत्येक वर्ष केवल ऐसे शिक्षण संस्थान सम्मिलित हो सकेंगे जिनकी मान्यता एवं सम्बद्धता 31 मार्च तक सक्षम स्तर से प्राप्त हो चुकी हो। 31 मार्च के पश्चात् मान्यता प्राप्त करने वाले शिक्षण संस्थानों को आगामी वित्तीय वर्ष में मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित किया जायेगा।
		(iii)	मास्टर डाटाबेस में प्रदेश में स्थित शिक्षण संस्थानों एवं उसमें वर्गवार स्वीकृत सीटों की संख्या आदि का विवरण सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एन0आई0सी0) स्तर से उपलब्ध कराये गये साफ्टवेयर पर स्वयं आनलाइन निर्धारित तिथि तक भरा जायेगा। मास्टर डाटाबेस में आनलाइन शुद्ध डाटा भरने का पूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित शिक्षण संस्थान का होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

		(iv)	जनपद में संचालित बैंकों / शाखाओं तथा उनके आई0एफ0एस0 कोड आदि का शुद्ध विवरण मास्टर डाटाबेस में निर्धारित तिथि तक सम्मिलित किया जायेगा। यह समस्त विवरण PFMS के बैंक मास्टर के अनुसार मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी का होगा।
		(v)	मास्टर डाटाबेस में उल्लिखित जनपद के अन्दर स्थित शिक्षण संस्थानों, उनमें वर्गवार स्वीकृत सीटों की संख्या आदि विवरण का सत्यापन जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा किया जायेगा तथा तदोपरांत अपने डिजीटल सिग्नेचर से मास्टर डाटाबेस में शिक्षण संस्थान के डाटा को लॉक किया जायेगा। तदोपरान्त शिक्षण संस्थानों के मास्टर डाटाबेस के विवरण को एवं बैंक मास्टर को जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा भी अपने डिजीटल सिग्नेचर से निर्धारित तिथि तक लॉक किया जायेगा।
	10	**छात्र को छात्रवृत्ति के भुगतान हेतु शिक्षण संस्थानों की वरीयता क्रम का निर्धारण**	
		(i)	छात्रवृत्ति हेतु अर्ह छात्र को छात्रवृत्ति की धनराशि का भुगतान एकमुश्त किया जायेगा।
		(ii)	सीमित वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति की धनराशि का नवीनीकरण एवं तदोपरान्त नये छात्रों को छात्रवृत्ति की धनराशि निम्नांकित वरीयता क्रम में बजट की उपलब्धता की सीमा तक अभ्यर्थी के बैंक खाते में सीधे अन्तरित की जायेगी :-
			(क) सर्वप्रथम राज्य अथवा केन्द्र सरकार के विभागों / निकायों द्वारा संचालित राजकीय शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र।
			(ख) तत्पश्चात् शासकीय सहायता प्राप्त निजी क्षेत्र के

http://shasanadesh.up.nic.in

			शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र।
			(ग) तत्पश्चात् अवशेष बजट से निजी क्षेत्र के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्र।
		(iii)	उपरोक्त वरीयता क्रम के अन्दर बजट में धनराशि अपर्याप्त होने पर निम्नानुसार वरीयता निर्धारित की जायेगी :-
			1- छात्रवृत्ति का वितरण नाम के अल्फाबेटिक क्रम (A to Z) में किया जायेगा।
			2- एक ही अल्फाबेटिक क्रम होने पर अधिक आयु वाले छात्र को वरीयता दी जायेगी।
			3- नाम का अल्फाबेटिक क्रम एवं आयु एक समान हाने की दशा में प्रथम आगत प्रथम निर्गत के आधार पर छात्रवृत्ति की धनराशि का वितरण किया जायेगा। प्रथम आगत का निर्धारण छात्र द्वारा आनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि व समय से लिया जायेगा।
		(iv)	सर्वप्रथम किसी शैक्षिक संस्थान में कक्षा 9 उत्तीर्ण कर कक्षा 10 में जाने वाले छात्रो (रिन्यूवल) को छात्रवृत्ति दी जायेगी, उसके बाद कक्षा 9 अथवा कक्षा 10 में प्रवेश लेने वाले (फ्रेश) को उपरोक्त वरीयता क्रम में छात्रवृत्ति वितरित की जायेगी।
		(v)	प्रत्येक शैक्षणिक सत्र की देनदारियां उस वित्तीय वर्ष के साथ ही समाप्त मानी जायेंगी एवं अग्रेणीत नहीं की जायेंगी।
		(vi)	भारत सरकार /राज्य सरकार की किसी अन्य योजना से छात्रवृत्ति पाने वाले छात्र को इस योजना के अन्तर्गत लाभ नहीं मिलेगा।
	11	**छात्रवृत्ति स्वीकृति, सत्यापन एवं वितरण की प्रक्रिया**	
		(i)	पूर्वदशम् छात्रवृत्ति हेतु आनलाइन आवेदन करने से वितरण किये जाने तक की सम्पूर्ण कार्यवाही से संबंधित समय-सारिणी शासन स्तर से प्रत्येक

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

<table>
<tr><td></td><td>शैक्षिणिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व 31 मार्च तक निर्गत की जायेगी।</td></tr>
<tr><td>(ii)</td><td>अन्य पिछड़ा वर्ग पूर्वदशम् छात्रवृत्ति हेतु छात्रों को इण्टरनेट के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रबन्धन प्रणाली के वेबसाइट पर निर्धारित तिथि के अन्तर्गत सर्वप्रथम रजिस्ट्रेशन करना होगा, तदुपरान्त नये छात्रों को परिशिष्ट-क (संलग्नक-1) पर एवं नवीनीकृत होने वाले छात्रों को परिशिष्ट-ख (संलग्नक-2) पर आनलाइन आवेदन करना होगा।
आवेदन पत्र में सही-सही प्रविष्टियों को भरने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित छात्र का होगा।
छात्रों द्वारा आनलाइन भरे गये आवेदन का फाइनल प्रिन्टआउट लिया जायेगा। उक्त लिया गया प्रिन्टआउट आवश्यक अभिलेखों सहित शिक्षण संस्था में निर्धारित तिथि तक अनिवार्य रूप से छात्र द्वारा जमा किया जायेगा, जिसकी पावती (रिसीट) शिक्षण संस्थान द्वारा अभ्यर्थी को प्रदान की जायेगी।</td></tr>
<tr><td>(iii)</td><td>तदोपरांत शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक छात्र द्वारा भरे गये आनलाइन आवेदन के निर्धारित कालम में अंकित विवरण का मिलान एन0आई0सी0 (राज्य इकाई) से अनिवार्य रूप से निम्न बिन्दुओं पर कराया जायेगा :-
<table>
<tr><td>1</td><td>जाति प्रमाण पत्र</td><td>बोर्ड आफ रेवन्यू, उ0प्र0/ ई-डिस्टिक्ट की वेबसाइट से</td></tr>
<tr><td>2</td><td>आय प्रमाण पत्र</td><td>बोर्ड आफ रेवन्यू, उ0प्र0/ ई-डिस्टिक्ट की वेबसाइट से</td></tr>
<tr><td>3</td><td>बोर्ड नांमांकन (इनरोलमेन्ट) क्रमांक</td><td>सम्बन्धित बोर्ड की वेबसाइट से</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

		4	बोर्ड नांमांकन (इनरोलमेन्ट) का नवीनीकरण क्रमांक	सम्बन्धित बोर्ड की वेबसाइट से

उक्त एवं शासन द्वारा निर्धारित अन्य बिन्दुओं पर स्क्रूटनी के पश्चात् शुद्ध एवं संदेहास्पद डाटा को अलग कर लिया जायेगा।

राज्य एन0आई0सी0 द्वारा स्कूटनी में प्राप्त छात्रों के शुद्ध एवं संदेहास्पद डाटा के आवेदन पत्रों में अंकित बैंक सम्बन्धी विवरण यथा-खाताधारक का नाम, बैंक का नाम/शाखा, आई0एफ0एस0 कोड, बैक का खाता संख्या आदि का मिलान पी0एफ0एम0एस0 साफ्टवेयर के माध्यम से कराया जायेगा। राज्य एन0आई0सी0 एवं पी0एफ0एम0एस0 साफ्टवेयर के मिलान के पश्चात् जो आवेदन पत्र संदेहास्पद श्रेणी में आयेंगे उन्हें छात्रवार एवं संस्थावार जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के लागिन पर प्रेषित किया जायेगा तथा सम्बन्धित छात्र को इसकी सूचना एस0एम0एस0 द्वारा दी जायेगी। संदेहास्पद डाटा का उपरोक्तानुसार विवरण छात्रवृत्ति सम्बन्धी वेबसाइट पर सर्वसाधरण के जानकारी हेतु अपलोड किया जायेगा। छात्रों को अपने आवेदन पत्र की त्रुटियों के सुधार हेतु 15 दिन का समय दिया जायेगा।

	(iv)	त्रुटियों के सुधार हेतु दिये गये अन्तिम तिथि के उपरान्त राज्य एन0आई0सी0 द्वारा छात्रों से सम्बन्धित समस्त डाटा शिक्षण संस्थान के लागिन पर उपलब्ध कराया जायेगा।
	(v)	शिक्षण संस्थान के लागिन पर उपलब्ध कराये गये डाटा के अनुसार अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों का मिलान शिक्षण संस्थान स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा, जिसके लिये शिक्षण संस्थान पूरी तरह से उत्तरदायी होगा। आवेदन-पत्र के

http://shasanadesh.up.nic.in

		साथ संलग्न अभिलेखों का मिलान किये जाने के उपरान्त सही एवं अर्ह पाये गये आवेदन-पत्रों की संस्तुति संस्था स्तर पर गठित निम्न समिति द्वारा की जायेगी :- 1 — संस्था के प्रधानाचार्य — अध्यक्ष 2 — संस्था के वरिष्ठतम् अध्यापक — सदस्य 3 — संस्था के वरिष्ठतम् अन्य पिछड़ा वर्ग के अध्यापक — सदस्य संस्था में अन्य पिछड़ा वर्ग के अध्यापक के न होने की दशा में संस्था के वरिष्ठतम् अनुसूचित जाति के अध्यापक। अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति का अध्यापक के न होने की स्थिति में जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामित उस संस्था का कोई अन्य अध्यापक।
	(vi)	उपरोक्त समिति द्वारा छात्र का नाम, उसके द्वारा आवेदन पत्र में अंकित आय, जाति एवं सम्बन्धित शिक्षा परिषद द्वारा आनलाइन आवंटित नामांकन क्रमांक (इनरोलमेन्ट), विगत कक्षा के प्राप्तांक, बैंक खाता संख्या एवं आई0एफ0एस0 कोड आदि का मिलान छात्र द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों से अनिवार्य रूप से करने के उपरान्त ही विवरण को संबंधित संस्था द्वारा आनलाइन सत्यापित किया जायेगा। छात्र द्वारा आनलाइन भरे गये आवेदन पत्र का प्रिन्टआउट (मय संलग्नक) शैक्षिक संस्था द्वारा निर्धारित सत्यापन प्रमाण-पत्र सहित जिला विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को नियत तिथि तक उपलब्ध कराया जायेगा। ऐसे आवेदन पत्र जिनमें छात्र द्वारा त्रुटिपूर्ण सूचनायें अंकित की गयी हों, को परीक्षण के उपरान्त स्पष्ट कारण अंकित करते हुए संस्था द्वारा अपने स्तर से निरस्त किया जा सकेगा। सिर्फ ऐसे ही आवेदन पत्रों को छात्रवृत्ति हेतु संस्तुति

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

		सहित अग्रसारित किया जायेगा जो हर दृष्टि से पूर्ण हों एवं पात्रता के मानदण्डों को पूरा करते हों। प्रत्येक छात्र के सम्बन्ध में आवेदन पत्र की प्रति संबंधित शिक्षण संस्था के कार्यालय में 05 वर्ष तक सुरक्षित रखी जायेगी।
	(vii)	शिक्षा विभाग के सम्बन्धित अधिकारी द्वारा शिक्षण संस्था की मान्यता, वैधता एवं वर्गवार अनुमन्य सीटों के सापेक्ष आवेदकों की संख्या तथा शिक्षण संस्थान की कैटेगरी यथा-शासकीय, शासकीय सहायता प्राप्त या प्राइवेट के निर्धारण आदि का परीक्षण कर आनलाइन सत्यापन एवं डिजीटल हस्ताक्षर से लॉक किया जायेगा।
	(viii)	जनपद स्तर पर अन्य पिछड़ा वर्ग की पूर्वदशम् छात्रवृत्ति की स्वीकृति हेतु निम्न समिति गठित की जाती है :-

1	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	मुख्य विकास अधिकारी/ अपर जिलाधिकारी	उपाध्यक्ष
3	जिला विद्यालय निरीक्षक	सदस्य
4	जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी	सदस्य सचिव

यह समिति जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति कही जायेगी, जो इस नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत जनपद स्तर पर छात्रवृत्ति की स्वीकृति प्रदान करेगी।

	(ix)	शिक्षाधिकारी द्वारा आनलाइन अग्रसारित किये गये डाटा को सम्बन्धित जनपदों के जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारियों को उनके लागिन पर छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के निर्णयार्थ उपलब्ध कराया जायेगा।
	(x)	जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि ऐसे छात्र, जिनके आवेदन पत्र

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

		राज्य स्तरीय स्क्रूटनी में संदिग्ध पाये गये थे एवं जिनके परीक्षणोपरान्त छात्रवृत्ति भुगतान की संस्तुति उनके द्वारा की जा रही है, के कारणों का विवरण जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति के समक्ष प्रस्तुत हो जाये। जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जायेगा कि ऐसे सभी छात्रों के भुगतान को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के कारणों को उनके द्वारा अपने डिजिटल सिग्नेचर से स्कालरशिप पोर्टल पर आनलाइन अंकित कर दिया गया है।
	(xi)	शिक्षण संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति हेतु स्वीकृत किये गये समस्त आवेदन पत्र मय संलग्नक 05 वर्ष तक जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के कार्यालय में साफट कापी में सुरक्षित रखें जायेंगे तथा राज्य एन0आई0सी0 स्तर से उपलब्ध कराये गये शुद्व एवं सन्देहास्पद डाटा शुद्व डाटा से रिजेक्ट किये गये डाटा को कारणों सहित एवं सन्देहास्पद डाटा से एक्सेप्ट किये गये डाटा के कारणों सहित विवरण को भी 05 वर्ष तक जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के कार्यालय में साफटकापी में संरक्षित रखा जायेगा। इसी प्रकार प्रदेश स्तर पर निदेशालय पिछड़ा वर्ग कल्याण स्तर पर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा आनलाइन डिजिटल सिग्नेचर से लाक किये गये डाटा के आधार पर सृजित बेनीफिशियरी एवं ट्रान्जेक्शन फाइल, सन्देहास्पद रहे छात्रों की सूची, जिसमें छात्रों को छात्रवृत्ति न मिल पाने का कारण भी उल्लिखित हो तथा जिन छात्रों के खाते में धनराशि का अन्तरण नहीं हो पाया, ऐसे फेल्ड ट्रान्जेक्शन के लाभार्थियों की सूची कारण सहित 10 वर्ष तक साफटकापी (हस्ताक्षरित डी0वी0डी0/ हार्डडिस्क) में सुरक्षित रखी जायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

<table>
<tr><td>12</td><td colspan="2">निदेशालय पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं एन0आई0सी0 राज्य इकाई के स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही</td></tr>
<tr><td></td><td>(i)</td><td>छात्र के बैंक खाते में ई-पेमेण्ट द्वारा धनराशि के अन्तरण के पर्यवेक्षण हेतु निदेशालय स्तर पर निम्न समिति गठित की जाती है:-
<table>
<tr><td>1</td><td>निदेशक</td><td>अध्यक्ष</td></tr>
<tr><td>2</td><td>संयुक्त निदेशक</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>3</td><td>वित्त नियंत्रक</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>4</td><td>नोडल अधिकारी</td><td>सदस्य</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td></td><td>(ii)</td><td>छात्रवृत्ति की धनराशि का भुगतान प्रतिवर्ष एकमुश्त किया जायेगा। छात्र के बैंक खाते में छात्रवृत्ति की धनराशि के अन्तरण के सम्बन्ध में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो उसी वित्तीय वर्ष में उसका निराकरण निदेशक, पिछडा वर्ग कल्याण द्वारा किया जायेगा।</td></tr>
<tr><td></td><td>(iii)</td><td>छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के अनुमोदनोपरान्त जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लाक किये गये आवेदन पत्रों के आधार पर राज्य एन0आई0सी0 स्तर पर पूर्वदशम् छात्रवृत्ति की मांग सृजित की जायेगी तथा उपलब्ध बजट की सीमा तक निर्धारित मानकों के अनुरूप बेनीशियरीज फाइल तैयार कर उसे अनिवार्य रूप से छात्रवृत्ति सम्बन्धी वेवसाइट पर अपलोड किया जायेगा।</td></tr>
</table>

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

	(iv)	इस नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत पात्र छात्र को छात्रवृत्ति की धनराशि बजट की उपलब्धता के अनुसार छात्र के बचत बैंक खाते में सीधे राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार से ही ई-पेमेन्ट के तहत पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार अनुसार अन्तिरित की जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व निदेशालय के वित्त नियन्त्रक एवं नोडल अधिकारी (योजना) का होगा। इस सम्बन्ध में निदेशालय एवं एन0आई0सी0 राज्य ईकाइ के स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही का पूर्ण विवरण परिशिष्ट - 'ग' (संलग्नक-3) पर उपलब्ध है।
13	**अनियमितताएं पाये जाने पर FIR दर्ज कराना, शिक्षण संस्थानों को काली सूची में डालना तथा मान्यता निरस्त कराना।**	पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रों, शिक्षण संस्थानों, अधिकारियों/ कर्मचारियों एवं अन्य संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध अनियमिततायें पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। इस हेतु विस्तृत प्रक्रिया परिशिष्ट-'घ' (संलग्नक-4) में दी गयी है।
14	**पूर्वदशम छात्रवृत्ति हेतु उत्तरदायित्व निर्धारण**	छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में छात्र, शिक्षण संस्थान, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति, एन0आई0सी0 (राज्य इकाई), निदेशालय पिछड़ा वर्ग कल्याण स्तर पर गठित समिति, पी0एफ0एम0एस0 एवं भारतीय स्टेट बैंक व अन्य बैंकों आदि के उत्तरदायित्व नियमावली के परिशिष्ट-'च' (संलग्नक-5) पर उपलब्ध हैं।

http://shasanadesh.up.nic.in

<table>
<tr><td>15</td><td colspan="2">जनपद स्तर पर अनुश्रवण</td></tr>
<tr><td></td><td>(i)</td><td>छात्रवृत्ति योजना के अनुश्रवण व पर्यवेक्षण किये जाने हेतु जनपद स्तर पर निम्नवत् समिति गठित की जाती है :-
<table>
<tr><td>1</td><td>जिलाधिकारी</td><td>अध्यक्ष</td></tr>
<tr><td>2</td><td>जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के उपाध्यक्ष</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>3</td><td>जनपद में स्थित राजकीय विद्यालयों के प्रतिनिधि</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>4</td><td>जिला विद्यालय निरीक्षक</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>5</td><td>जिला सूचना विज्ञान अधिकारी (NIC)</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>6</td><td>जिला समाज कल्याण अधिकारी</td><td>सदस्य</td></tr>
<tr><td>7</td><td>जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी</td><td>सदस्य / सचिव</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td></td><td>(ii)</td><td>उक्त समिति छात्रवृत्ति के मास्टर डाटा में संस्थाओं एवं पाठ्यक्रमों का स्व विवेक से सत्यापन करायेगी तथा पूर्वदशम् कक्षाओं की परीक्षा में शामिल परीक्षार्थियों की संख्या एवं परीक्षाफल आदि का सत्यापन करेगी। अध्यक्ष की अनुमति से समिति की बैठक तीन माह के निर्धारित अन्तराल पर की जायेगी तथा कृत कार्यवाही की प्रगति रिपोर्ट निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण को उपलब्ध करायी जायेगी।</td></tr>
<tr><td></td><td>(iii)</td><td>जिन अभ्यर्थियों के आवेदन-पत्र, नियमों के अन्तर्गत न होने के कारण अस्वीकृत होते हैं, ऐसे अस्वीकृत किये गये आवेदन-पत्रों के सम्बन्ध में छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा अस्वीकृति के कारणों की जानकारी एन0आई0सी0 के माध्यम से आनलाइन प्रदर्शित की जायेगी तथा छात्र के मोबाइल नम्बर पर एस0एम0एस0 द्वारा सूचित किया जायेगा। सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर सम्बन्धित छात्र, जिलाधिकारी को अपील कर</td></tr>
</table>

http://shasanadesh.up.nic.in

		सकेगा। जिलाधिकारी उस अपील पर सकारण लिखित आदेश पारित करेंगे। जिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश अन्तिम होगा।
	(iv)	लाभार्थियों के खाते में धनराशि अन्तरण के पश्चात् प्रत्येक वित्तीय वर्ष में जिलाधिकारी द्वारा कम से कम दस प्रतिशत लाभार्थियों का सत्यापन जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी अथवा अन्य अधिकारियों के माध्यम से रैन्डम आधार पर सुनिश्चित किया जायेगा जिसमें इस बात का ख्याल रखा जायेगा कि जनपद की कोई भी शैक्षिक संस्था सत्यापन से छूटने न पाये।
16	**संशोधन का अधिकार**	इस नियमावली के प्राविधानों में यथावश्यक परिमार्जन, परिवर्धन, संशोधन अथवा किसी भी प्रस्तर को स्पष्ट किये जाने का अधिकार मा0 मुख्य मंत्री जी में निहित होगा।

श्री राज्यपाल की आज्ञा से,

(डा0 हरिओम)
सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

परिशिष्ट-क (सलंग्नक-1)

पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना में उ0प्र0 में अध्ययनरत् कक्षा 9 व 10 के अन्य पिछड़ा वर्ग के नवीन छात्र को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु आनलाइन आवेदन पत्र का प्रारूप

छात्र का स्कैन्ड फोटो

1	जिला (जहाँ छात्र अध्ययनरत हो) *	:	
2	शिक्षण संस्थान (जहाँ छात्र अध्ययनरत है) *	:	
3	छात्रवृत्ति रजिस्ट्रेशन क्रमांक	:	
4	छात्र का नाम (हिन्दी में)	:	
	छात्र का नाम (अंग्रेजी में)	:	
5	पिता का नाम	:	
6	माता का नाम	:	
7	जन्मतिथि (बोर्ड नामांकन के अनुसार) *	:	
8	लिंग *	:	
9	पूरा स्थायी पता	:	
10	धर्म *	:	
11	जाति / उपजाति *	:	
12	जाति प्रमाण पत्र क्रमांक	:	
13	जाति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि *	:	
14	छात्र /छात्रा के माता-पिता /अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय (रू0 में)	:	
15	आय प्रमाण पत्र क्रमांक (तहसील से जारी)	:	
16	आय प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि *	:	
17	कक्षा जिसमें अध्ययनरत है *	:	
18	बोर्ड का नाम *	:	
19	बोर्ड पंजीयन क्रमांक	:	

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

20	**छात्र/ छात्रा का बैंक खाता सं0**	:	
21	**बैंक का नाम (जहां छात्र/छात्रा का खाता है) ***	:	
22	**बैंक शाखा का नाम ***	:	
23	**आई0एफ0एस0 कोड ***	:	
24	**ई-मेल**	:	
25	**माता-पिता / अभिभावक का मोबाइल नम्बर**	:	
26	**आधार कार्ड का नम्बर ;यदि कोई हो**	:	

*** का तात्पर्य सेलेकट आप्सन से है।**

<u>घोषणा - पत्र</u>

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त प्रविष्टियां/सूचनाएं सहीं है व मेरे द्वारा ही भरी गयी हैं, मुझे किसी अन्य स्रोत से दूसरी छात्रवृत्ति प्राप्त नही हो रही है । मेरे माता-पिता अथवा अभिभावक की कुल वार्षिक आय रू0 दो लाख से कम है। मैंने इस संस्था के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं प्रवेश नहीं लिया है। मैं संस्था के शैक्षिक निर्देशों एवं निर्धारित उपस्थिति का समुचित अनुपालन करूंगा/करूंगी।

आवेदन पत्र में दी गयी यदि कोई सूचना एवं संलग्न प्रमाण पत्र व अन्य अभिलेख गलत पाये जाये तो छात्रवृत्ति की धनराशि 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वापस कर दूँगा/दूँगी। यदि ऐसा करने में मैं असफल होता हूँ तो जिलाधिकारी राजस्व देयों की भांति इसकी वसूली करने में स्वतंत्र होंगें एवं संबंधित विभाग मेरे खिलाफ समुचित कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।

छात्र / छात्रा के हस्ताक्षर .....

दिनॉक .....

माता / पिता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान .....

(माता / पिता की मृत्यु की दशा में अभिभावक) .....

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

<u>नोट :-</u>

(1) पात्र अभ्यर्थी को उपरोक्त प्रपत्र पर सूचनाएं आनलाइन भरना होगा। आनलाइन भरे गये फार्म के प्रिन्ट आउट प्राप्त कर सभी संलग्नकों सहित आवेदन पत्र निर्धारित अन्तिम तिथि तक शिक्षण संस्था में प्रस्तुत करना होगा जिसकी पावती निर्धारित प्रपत्र पर शिक्षण संस्थान द्वारा संबंधित अभ्यर्थी को प्रदान की जायेगी।

(2) किसी भी नियम की जानकारी छात्रवृत्ति प्रबन्धन प्रणाली की वेबसाइट http://scholarship.up.nic.in अथवा विभाग की वेबसाइट http://backwardwelfare.up.nic.in पर अपलोडेड अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर) पूर्वदशम छात्रवृत्ति नियमावली-2016 से की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

<u>परिशिष्ट-ख (सलंग्नक-2)</u>

पूर्वदशम् छात्रवृत्ति योजना में उ0प्र0 में अध्ययनरत् कक्षा-10 के अन्य पिछड़ा वर्ग के नवीनीकरण के छात्र को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु आनलाइन आवेदन पत्र का प्रारूप

1	छात्र के विगत वर्ष की छात्रवृत्ति का रजिस्ट्रेशन संख्या	:	
2	बोर्ड नामांकन क्रमांक	:	
3	गत वर्ष का परीक्षाफल (उत्तीर्ण / अनुत्तीर्ण)	:	
4	गत वर्ष के परीक्षा का पूर्णांक	:	
5	गत वर्ष के परीक्षा का प्राप्तांक	:	
6	वर्तमान कक्षा में प्रवेश की तिथि	:	

<u>घोषणा - पत्र</u>

मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त प्रविष्टियां/सूचनाएं सहीं है व मेरे द्वारा ही भरी गयी हैं, मुझे किसी अन्य स्रोत से दूसरी छात्रवृत्ति प्राप्त नही हो रही है। मेरे माता-पिता अथवा अभिभावक की कुल वार्षिक आय रू0 दो लाख से कम है। मैंने इस संस्था के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं प्रवेश नहीं लिया है। मैं संस्था के शैक्षिक निर्देशों एवं निर्धारित उपस्थिति का समुचित अनुपालन करूंगा/करूंगी।

आवेदन पत्र में दी गयी यदि कोई सूचना एवं संलग्न प्रमाण पत्र व अन्य अभिलेख गलत पाये जाये तो छात्रवृत्ति की धनराशि 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वापस कर दूँगा/दूँगी। यदि ऐसा करने में मैं असफल होता हूँ तो जिलाधिकारी राजस्व देयों की भांति इसकी वसूली करने में स्वतंत्र होंगें एवं संबंधित विभाग मेरे खिलाफ समुचित कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा।

छात्र / छात्रा के हस्ताक्षर .....

दिनॉक .....

माता / पिता के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान .....

(माता / पिता की मृत्यु की दशा में अभिभावक) .....

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

<u>नोट :-</u>

(1) पात्र अभ्यर्थी को उपरोक्त प्रपत्र पर सूचनाएं आनलाइन भरना होगा। आनलाइन भरे गये फार्म के प्रिन्ट आउट प्राप्त कर सभी संलग्नकों सहित आवेदन पत्र निर्धारित अन्तिम तिथि तक शिक्षण संस्था में प्रस्तुत करना होगा जिसकी पावती निर्धारित प्रपत्र पर शिक्षण संस्थान द्वारा संबंधित अभ्यर्थी को प्रदान की जायेगी।

(2) किसी भी नियम की जानकारी छात्रवृत्ति प्रबन्धन प्रणाली की वेबसाइट http://scholarship.up.nic.in अथवा विभाग की वेबसाइट http://backwardwelfare.up.nic.in पर अपलोडेड अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर) पूर्वदशम छात्रवृत्ति नियमावली-2016 से की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

<u>परिशिष्ट–'ग' (संलग्नक-3)</u>

छात्रों के बैंक खातों में पूर्वदशम् की छात्रवृत्ति अन्तरण हेतु निदेशालय, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश एवं एन0आई0सी0(राज्य इकाई) के स्तर पर की जाने वाली कार्यवाही का विवरण

1	एन0आई0सी0, राज्य इकाई लखनऊ द्वारा निदेशालय पर गठित समिति के उपयोग हेतु छात्रवृत्ति साफ्टवेयर में आवश्यकतानुसार ऐसी व्यवस्था की जायेगी जिससे समिति को संयुक्त रूप से बेनीफिशरी फाइल, ट्रांजेक्शन फाइल एवं कोषागार के सर्वर पर (छात्रवृत्ति / कोषागार / पी0एफ0एम0एस0 सर्वर पर) डाटा को ट्रान्सफर करने का विकल्प उपलब्ध होगा।
2	उपरोक्त प्रयोजन हेतु जवाहर भवन, लखनऊ स्थित कोषागार को नोडल ट्रेजरी नामित किया जाता है।
3	निदेशालय के वित्त नियन्त्रक एवं योजना हेतु नामित नोडल अधिकारी को पासवर्ड एन0आई0सी0 द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा जिसका उपयोग करके बेनीफिशरी फाइल जनरेट की जायेगी। उक्त बेनीफिशरी फाइल को पी0एफ0एम0एस0 साफ्टवेयर पर उपरोक्त अधिकारियों द्वारा अपने पी0एफ0एम0एस0 कोड नम्बर द्वारा अपलोड कर सत्यापन कराया जायेगा। सत्यापनोपरान्त प्राप्त वैध बेनीफिशरी के अनुसार बिल तैयार कर जवाहर भवन कोषागार लखनऊ में पारण हेतु प्रस्तुत कर टोकन प्राप्त किया जायेगा। इस ट्रेजरी टोकन नंबर को छात्रवृत्ति की बेवसाइट पर फीड करके ट्रांजेक्शन फाइल जनरेट की जायेगी जो पी0एफ0एम0एस0 सर्वर पर स्थानान्तरित हो जायेगी। पी0एफ0एम0एस0 सर्वर से ट्रांजेक्शन फाइल के स्वीकृत होने के उपरान्त वित्त नियंत्रक एवं नोडल अधिकारी द्वारा अपने लॉगिन आई0डी0 व पासवर्ड के माध्यम से ट्रांजेक्शन फाइल में ट्रेजरी टोकन के सापेक्ष अंकित बेनिफिशरी छात्रों की संख्या व धनराशि का सत्यापन कर अनुमोदित करेंगे जिसके पश्चात संबंधित ट्रांजेक्शन फाइल ट्रेजरी की लॉगिन पर प्रदर्शित होने लगेगी। निदेशालय के नोडल अधिकारी (योजना) / वित्त नियंत्रक द्वारा ट्रांजेक्शन फाइल आनलाइन अनुमोदित कराने के उपरान्त, मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ द्वारा पी0एफ0एम0एस0 सर्वर पर उपलब्ध उक्त अनुमोदित ट्रांजेक्शन फाइल को आनलाइन अनुमोदित किया जायेगा। कोषागार से ट्रांजेक्शन फाइल के अनुमोदित करने के पश्चात छात्रवृत्ति की धनराशि का अन्तरण सीधे छात्र के बचत बैंक खातों में हो जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

4	राज्य एन0आई0सी0 द्वारा बिल जनरेट होने के उपरान्त धनराशि अन्तरण से सम्बन्धित विवरण को जनपद/ शिक्षण संस्थान की श्रेणीवार / वेटेज अंक के आधार पर छात्रवार जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी / निदेशालय के लागिन पर एवं छात्रवृत्ति प्रबन्धन प्रणाली की वेबसाइट पर सर्वसाधारण हेतु अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा, जिसके आधार पर निदेशालय / सम्बन्धित जनपद वितरण सम्बन्धी विभिन्न प्रकार की रिपोर्ट अपने लागिन आई0डी0 एवं पासवर्ड के माध्यम से जनरेट कर प्राप्त कर सकेंगे।
5	जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के डिजीटल सिग्नेचर से आनलाइन संस्तुत एवं लॉक डाटा में किसी स्तर से बदलाव नहीं किया जायेगा। उक्तानुसार लॉक डाटा के आधार पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (स्टेट यूनिट) लखनऊ द्वारा विकसित साफ्टवेयर से इस नियमावली में वर्णित रीति से डाटा को प्रोसेस कराकर केवल मांग जनरेट की जायेगी। आनलाइन लॉक किये गये डाटा की शुद्धता की पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी की होगी क्योंकि इसी लॉक डाटा के आधार पर ही नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत अभ्यर्थियों को धनराशि का अन्तरण किया जायेगा।
6	जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के पास नवीनीकरण हेतु अर्ह छात्र के विगत वर्ष के आवेदन-पत्र में अथवा उसके साथ संलग्न प्रमाण-पत्रों में संशोधन का कोई प्रार्थना-पत्र आवेदन की अंतिम तिथि तक प्राप्त होता है तो उसका अपने स्तर पर परीक्षण कर व जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की संस्तुति सहित संबंधित छात्रों की त्रुटियों को ठीक कराने हेतु 10 दिनों के अंदर निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण से अनुरोध कर सकेंगे। निर्धारित तिथि तक जनपदों से प्राप्त सूचना के आधार पर निदेशालय द्वारा उपरोक्त त्रुटियों को ठीक कराने का प्रयास किया जायेगा।
7	जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के डिजीटल सिग्नेचर से संस्तुत एवं लॉक किये गये डाटा के आधार पर यदि किसी अपात्र अभ्यर्थी को छात्रवृत्ति की धनराशि का अन्तरण होता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी की होगी।
8	निदेशालय के वित्त नियंत्रक द्वारा राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र लखनऊ के सहयोग से छात्रवृत्ति की धनराशि की मांग सृजित (जनरेट) कराकर तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ द्वारा साफट्वेयर के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी बेनीफिशरी एवं ट्रांजेक्शन फाइल द्वारा ही निर्धारित तिथि के अन्दर छात्र / छात्रा के बचत बैंक खाते में सीधे राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार से ई-पेमेण्ट **(e-payment)**

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

	के तहत पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली के माध्यम से निर्धारित प्रक्रियानुसार धनराशि अन्तरित की जायेगी। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य इकाई, लखनऊ द्वारा विकसित साफ्ट्वेयर से सृजित बेनीफिशरी एवं ट्रांजेक्शन फाइल में वित्त नियंत्रक या नोडल अधिकारी स्तर से कोई बदलाव नहीं किया जायेगा। प्रत्येक वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा निर्धारित तिथि पर वेबसाइट को निदेशालय स्तर से लॉक कर दी जायेगी।
9	उक्तानुसार आनलाइन सृजित मांग के सापेक्ष निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये बजट की सीमा तक नियमावली में वर्णित वरीयता क्रम के अनुसार कोषागार की ई-पेमेण्ट **(e-payment)** प्रक्रिया के तहत पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली के माध्यम से वित्त नियंत्रक एवं नोडल अधिकारी द्वारा पात्र छात्र / छात्राओं के बचत बैंक खातों में निर्धारित तिथि तक धनराशि अन्तरित कर दी जायेगी। कोषागार से ई-पेमेण्ट **(e-payment)** के तहत पी0एफ0एम0एस0 प्रणाली के माध्यम से पात्र छात्र के बचत बैंक खातों में निर्धारित प्रक्रियानुसार अन्तरण हेतु प्रेषित धनराशि का अन्तरण न होने की दशा में बैंकों से फेल्ड ट्रांजेक्शन / अवितरित वापस प्राप्त धनराशि को उसी वित्तीय वर्ष में शासन द्वारा निर्धारित तिथि तक राज्य सरकार के रिसीट हेड में जमा किया जायेगा। बैंक से फेल्ड ट्रांजेक्शन / अवितरित वापस प्राप्त धनराशि को राज्य सरकार के रिसीट हेड में उसी वित्तीय वर्ष में जमा कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व वित्त नियत्रंक एवं नोडल अधिकारी का होगा। पी0एफ0एम0एस0/ बैंको का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे लाभार्थियों के खातों में अन्तरित न होने वाली धनराशि व सम्बन्धित लाभार्थियों एवं उनके खातों का पूर्ण विवरण अन्तरित न होने की तिथि से विलम्बतम 01 माह के अन्दर वित्त नियन्त्रक / नोडल अधिकारी पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय उ0प्र0, लखनऊ को उपलब्ध करा देंगे। वित्त नियन्त्रक द्वारा उक्तानुसार प्राप्त समस्त धनराशि एवं लाभार्थियों का विवरण लेजर में अंकित कर कार्यालय में सुरक्षित रखा जायेगा। छात्रवृत्ति की धनराशि के अन्तरण का विवरण जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारियों के लागिन पर जनपदवार उपलब्ध होगा।
10	राज्य एन0आई0सी0 द्वारा विभाग में सम्बन्धित योजना में उपलब्ध बजट के आधार पर जो बेनीफिसरीज फाइल जिस वरीयताक्रम के आधार पर तैयार की जाए, उसका छात्रवार / संस्थावार विवरण निदेशालय की लागिन पर अपलोड किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

<u>परिशिष्ट-'घ' (संलग्नक-4)</u>

अनियमितताएं पाये जाने पर FIR दर्ज कराना, शिक्षण संस्थानों को काली सूची में डालना तथा <u>मान्यता निरस्त कराना</u>

1	पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रों, शिक्षण संस्थानों, अधिकारियों / कर्मचारियों एवं अन्य संलिप्त व्यक्तियों के विरूद्ध अनियमितितायें पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जायेगी एवं जांचोपरान्त अनियमित भुगतान / गबन की गयी धनराशि की वसूली जिलाधिकारी के माध्यम से करायी जायेगी। जांचोपरान्त सिद्धदोष हेतु सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों को जिलाधिकारी की संस्तुति के उपरान्त कालीसूची में डालने, संस्थान की मान्यता एवं सम्बद्धता समाप्त किये/ कराये जाने का दायित्व समाज कल्याण विभाग का होगा। उपरोक्तानुसार कार्यवाही निम्नलिखित अनिमितितायें पाये जाने पर की जायेगी :- i - मास्टरडाटा बेस में शिक्षण संस्थान द्वारा गलत सूचना भरकर सम्मिलित होने पर। ii - शिक्षण संस्थान / विद्यालय में छात्र के अध्ययनरत न पाये जाने पर। iii - शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र के किसी अन्य शिक्षण संस्थान / विद्यालय में अध्ययनरत होते हुये भी अपनी संस्था से छात्र की छात्रवृत्ति हेतु आवेदन सत्यापित एवं अग्रसारित करने पर। iv- छात्र द्वारा स्वयं, माता-पिता अथवा अभिभावक की वास्तविक आय छिपाकर फर्जी आय के आधार पर छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने पर। v- छात्र द्वारा झूठा घोषणा पत्र प्रस्तुत कर छात्रवृत्ति प्राप्त करने पर। vi - छात्रवृत्ति की धनराशि प्राप्त करने हेतु अभिलेखों में कूटरचना / हेराफेरी करके छात्र / शिक्षण संस्थान द्वारा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने एवं शिक्षण संस्थान द्वारा फर्जी आवेदन सत्यापित व अग्रसारित करने पर। vii - जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी कार्यालय / शिक्षा विभाग या अन्य किसी व्यक्ति/ विभाग द्वारा कूटरचना / हेराफेरी कर छात्रों की बढ़ी हुई संख्या दर्शा कर छात्रवृत्ति की धनराशि ऐसे छात्रों / व्यक्तियों के बैंक खातों में अन्तरित कराने अथवा अन्तरित कराने का प्रयास करने पर। viii - जिला मजिस्ट्रेट / निदेशालय / शासन द्वारा जांचोपरान्त अन्य किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर।
2	जनपद स्तर पर करायी गयी जांचों में जिन संस्थाओं के द्वारा फर्जी छात्रों के आवेदन पत्र को अग्रसारित करने के तथ्य की पुष्टि होती है, उन्हें काली सूची में डालने की संस्तुति, जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति निदेशक, समाज कल्याण को करेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

	इसके अतिरिक्त संबंधित शिक्षण संस्थाओं की संबद्धता / मान्यता निरस्त करने के संबंध में भी नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।
3	पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनियमितता करने वाले शिक्षण संस्थाओं को 'काली सूची' में डालने तथा उनकी सम्बद्धता / मान्यता निरस्त करने की कार्यवाही हेतु निदेशक, समाज कल्याण की अध्यक्षता में गठित अंतर्विभागीय समिति अधिकृत होगी। ऐसी शिक्षण संस्थाओं को काली सूची में डालने हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति से सम्बन्धित शिक्षण संस्थाओं को काली सूची में डालने हेतु निर्धारित प्रक्रिया प्रभावी होगी।
4	निदेशक, समाज कल्याण विभाग उ0प्र0 की अध्यक्षता में गठित अंतर्विभागीय समिति द्वारा शिक्षण संस्थान को काली सूची में डाले जाने के निर्णय के विरूद्ध शिक्षण संस्था द्वारा अपील निर्णय की प्रति प्राप्त होने के एक माह के अन्दर शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, समाज कल्याण के कार्यालय में की जा सकती है। अपील का निस्तारण प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में गठित अंतर्विभागीय अपीलीय समिति तथ्यों / साक्ष्यों के आधार पर करेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

परिशिष्ट-च (संलग्नक-5)

पूर्वदशम् छात्रवृत्ति (कक्षा 9-10) योजनान्तर्गत अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर) के छात्रों हेतु आनलाइन आवेदन करने से लेकर छात्रवृत्ति की धनराशि के वितरण की सम्पूर्ण प्रक्रिया में विभिन्न स्तरों पर उत्तरदायित्व का निर्धारण

1-छात्र के उत्तरदायित्व

(i) सामान्य जानकारी हासिल करना

सर्वप्रथम छात्र वेबसाइट पर दिये गये दिशा-निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा दिये गये प्रारूप को प्रिंट कर लें।

1-प्रिंट किये गये फार्म पर अपने रिकार्ड के अनुसार सूचना सही-सही भर लें ताकि ऑनलाइन फार्म भरते समय सरलता रहे।

2- ऑनलाइन आवेदन में समस्त प्रविष्टियां **अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर्स** में तथा संख्यात्मक प्रविष्टियाँ भी अंग्रेजी अंक पद्धति में अंकित की जानी है।

3- प्रविष्टियां भरने में स्पेशल करेक्टर यथा- #, $, %, ^, &, *, ( ), -, = इत्यादि का प्रयोग मान्य नहीं होगा।

4- कक्षा 9 के छात्रों को नया आवेदन पत्र एवं कक्षा 10 के छात्रों को नवीनीकरण का आवेदन पत्र भरना होगा। कक्षा 10 में नये प्रवेश लेने वाले छात्रों को नया आवेदन पत्र भरना होगा।

(ii) **ऑनलाइन आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन करना**

1- प्रथम चरण में छात्र को निर्धारित वेबसाइट http://scholarship.up.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है।

2- रजिस्ट्रेशन में मांगी गयी सम्पूर्ण प्रविष्टियाँ वेबसाइट पर निर्धारित प्रारूप में सही-सही भरें, अन्यथा आवेदन निरस्त हो जायेगा।

3- रजिस्ट्रेशन के उपरान्त आवेदक का एक रजिस्ट्रेशन नम्बर स्वत: जेनरेट होगा एवं स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट करने का विकल्प होगा।

4- रजिस्ट्रेशन में भरे गये समस्त प्रविष्टियों का प्रिंट विकल्प से अपना रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट करें।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(iii) <u>ऑनलाइन आवेदन करना</u>

1- सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत आवेदक को छात्रवृत्ति के लिये ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है।

2- जिसके लिये निर्धारित वेबसाइट http://scholarship.up.nic.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करें, क्लिक करने के उपरांत स्क्रीन पर निर्धारित कॉलम में अपना रजिस्ट्रेशन संख्या, जन्म तिथि एवं हाईस्कूल का अनुक्रमांक एवं पासवर्ड भरें।

3- इसके बाद स्क्रीन पर दिये गये कोड को भरकर Submit बटन पर क्लिक करें। प्रविष्टियाँ सही होने पर स्क्रीन पर ऑनलाइन आवेदन का प्रारूप खुल जायेगा।

4- इस प्रारूप में ऊपर के हिस्से में कुछ सूचनायें स्वत: प्रदर्शित होंगी। जो आवेदक द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय भरी गयी थी, इस प्रारूप में आवेदक द्वारा वांछित कॉलम में सूचनायें सही-सही भरी जाय।

5- जिस कॉलम के सामने स्टार (*) प्रदर्शित हो रहा है उस कॉलम में सूचना भरना अनिवार्य होगा।

6- छात्र आवेदन फार्म में अपने नाम के बैंक खाते का ही विवरण भरेगा जो उसके माता / पिता / अभिभावक की संरक्षकता में बैंक में खोला गया हो, किसी अन्य व्यक्ति के नाम का बैंक खाता फीड करने पर आवेदन पत्र निरस्त माना जायेगा।

7- इस प्रकार आवेदन में समस्त प्रविष्टियां पूर्ण होने के उपरांत Submit बटन पर क्लिक करें, इसके उपरांत अपने भरे हुये आवेदन का एक प्रिन्ट आउट निकालें जिसके लिये स्क्रीन पर दिये गये बटन ? पर क्लिक करें। प्रिंट किये गये आवेदन को भली भांति जांच लें, यदि समस्त प्रविष्टि सही हैं तो पुन: होम पेज पर अपने "फोटो अपलोड करें" पर क्लिक करें, और स्क्रीन पर प्रदर्शित अपना रजिस्ट्रेशन संख्या, जन्म तिथि एवं हाईस्कूल का अनुक्रमांक टाइप करें।

8- इसके बाद स्क्रीन पर फोटो अपलोड करने का विकल्प उपलब्ध होगा। फोटो अपलोड करने के लिये पहले अपनी 20 KB की एक फोटो, जिसके नीचे आवेदक के हस्ताक्षर हों, स्कैन करके कम्प्यूटर पर रख लें। डाली गयी फोटो हस्ताक्षर सहित ही स्कैन होनी आवश्यक है। अपलोड की गयी फोटो JPEG तथा JPG Format में होनी चाहिये तथा फोटो साइज 20 KB से अधिक की नहीं होनी चाहिए।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

9- फोटो अपलोड करने की प्रक्रिया में स्क्रीन पर दिये गये Browse Option से अपने फोटो को Select करें एवं उसके बाद अपलोड वाले विकल्प पर क्लिक करें। तत्पश्चात अपना फोटो देखें, विकल्प पर क्लिक करें, जिससे कि अपलोड किया गया फोटो स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा। यदि फोटो सही है तो Lock and Final Save बटन पर क्लिक करें।

10- Final and Save Lock करना अनिवार्य होगा अन्यथा फार्म अपूर्ण माना जायेगा एवं स्वत: निरस्त हो जायेगा।

11- पूर्वदशम छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन शासन द्वारा निर्धारित वेबसाइट http://scholarship.up.nic.in के माध्यम से ही केवल भरा जायेगा। किसी अन्य माध्यम से भरे गये फार्म मान्य नहीं होंगे। अभ्यर्थी द्वारा किया गया आवेदन लॉक हो जाने की दशा में परिवर्तनीय नहीं होगा।

12- कक्षा 10 के छात्रों को कक्षा 9 का अंकपत्र स्कैन कर आवेदन पत्र के साथ अपलोड करना होगा।

(iv) आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट प्राप्त करना

इसके बाद होम पेज पर जाकर दिये गये विकल्प से अपने भरे गये आवेदन का प्रिंट आउट निकाल लें एवं इस प्रिंट आउट को समस्त अन्य वांछित डाक्यूमेण्ट जैसे- आय प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, बैंक की पासबुक की कापी जिस पर खाता संख्या एवं आई.एफ.एस. कोड प्रदर्शित हो रहा हो, की स्वप्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न करते हुये अपने अध्ययनरत शिक्षण संस्था में सम्बन्धित अधिकारी के पास जमा करके उसकी रसीद प्राप्त कर लें। आवेदन पत्र ऑनलाइन Submit करने के 01 सप्ताह के अन्दर संस्थान में आवेदन पत्र की हार्डकापी जमा करना आवश्यक है।

(v) आवेदन पत्र जमा की रसीद प्राप्त करना

1- संस्थान द्वारा दी जाने वाली प्राप्ति रसीद आवेदन पत्र के प्रिन्ट आउट के साथ ही प्रिन्ट होगी। संस्थान द्वारा उसी रसीद पर संस्था की मुहर एवं हस्ताक्षर कर छात्र/छात्रा को प्रदान की जायेगी।

2- निर्धारित वेबसाइट पर आवेदक अपने जमा किये गये फार्म की वर्तमान स्थिति की जानकारी प्राप्त कर सकता है जिसके लिये वेबसाइट पर दिये गये "आवेदन की स्थिति जाने" को क्लिक करना होगा एवं स्क्रीन पर अपना रजिस्ट्रेशन संख्या भरना होगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(2) शिक्षण संस्थानों का उत्तरदायित्व

शिक्षण संस्थानों द्वारा निम्नवत् कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है:-

1- शिक्षण संस्था द्वारा छात्रवृत्ति हेतु सभी विभागों के लिए एक ही नोडल अधिकारी नामित करना होगा जिसका सम्पूर्ण विवरण बेवसाइट http://scholarship.up.nic.in के मास्टरडाटा में निर्धारित तिथि तक अपडेट करना होगा।

2- मास्टर डाटाबेस में शिक्षण संस्थानों को लागिन आई0डी0 एवं पासवर्ड के माध्यम से आनलाइन सूचना भरनी होगी। शिक्षण संस्थानों को लागिन आई0डी0 एवं पासवर्ड संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा प्रदत्त किया जायेगा।

3- अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पश्चात विलम्बतम 07 दिन के अन्दर अपना आवेदन पत्र संस्थान में जमा किया जायेगा। आवेदन पत्र के साथ प्राप्ति रसीद भी प्रिन्टेड छपकर प्राप्त होगी। उसी प्राप्ति रसीद पर जमा करने वाला शिक्षण संस्थान का संबंधित अधिकारी / कर्मचारी हस्ताक्षर कर संस्था की मुहर लगाकर आवेदक को प्राप्ति रसीद वापस दे देगा। आवेदन पत्र के साथ जितने अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रति आवेदक ने प्रस्तुत की है, उसे संस्थान द्वारा प्राप्ति रसीद पर सही (√) किया जायेगा।

4- शिक्षण संस्थान द्वारा अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट एवं उसके साथ समस्त संलग्नकों की प्राप्ति के पश्चात छात्र के ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों का मिलान करना होगा एवं अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के प्रिन्ट आउट पर स्कैन फोटो को सत्यापित करना होगा।

5- शिक्षण संस्थान छात्र / छात्रा द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्र की हार्डकापी के साथ संलग्न बैंक पासबुक की छायाप्रति से अभ्यर्थी के बैंक खाते का विवरण यथा- नाम, खाता संख्या व IFS कोड आदि का मिलान अनिवार्य रूप से कर लेंगे।

6- शिक्षण संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके संस्थान में अध्ययनरत समस्त पात्र छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन कर दिया गया है एवं सभी पात्र छात्रों द्वारा आवेदन पत्र का प्रिन्ट आउट समस्त आवश्यक संलग्नकों के साथ शिक्षण संस्था में जमा कर दिया गया है।

7- शिक्षण संस्थान केवल ऑनलाइन प्रेषित आवेदन पत्र के प्रिन्ट आऊट की फोटोकापी आवश्यक संलग्नकों के साथ स्वीकार करेगा। शिक्षण संस्थान अन्य किसी प्रपत्र पर आवेदन पत्र स्वीकार नहीं करेगा।

8- शिक्षण संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आवेदक छात्र द्वारा आवेदन पत्र के साथ नियमावली के प्राविधानों में उल्लिखित संलग्नक नत्थी कर दिये गये हैं।

9- ऑनलाइन आवेदन हेतु फार्म बेवसाइट http://scholarship.up.nic.in पर उपलब्ध होगा। अभ्यर्थियों द्वारा जमा किये गये आवेदन पत्र एवं संलग्नकों के आधार पर प्रविष्टियों का मिलान शिक्षण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

संस्थान स्तर पर गठित समिति द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत किया जायेगा। इसके लिए निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात कोई अतिरिक्त समय नहीं प्रदान किया जायेगा।

10- जिन छात्रों का डाटा त्रुटिपूर्ण / अपूर्ण / गलत होगा, उनका डाटा शिक्षण संस्थान द्वारा अग्रसारित नही किया जायेगा, उसको अपने स्तर से अस्वीकृत कर दिया जायेगा। शिक्षण संस्थान केवल उन्हीं छात्रों का आवेदन पत्र सत्यापित एवं अग्रसारित करेगा जो वास्तव में उस शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत हैं। शिक्षण संस्थान किसी भी दशा में फर्जी या शिक्षण संस्थान में अध्ययनरत न रहने वाले व्यक्ति / छात्र का आवेदन पत्र संस्तुत नहीं करेंगे।

11- अभ्यर्थी के द्वारा आनलाइन भरे गये त्रुटिपूर्ण आवेदन को सही करने की सुविधा उपलब्ध होगी। छात्रों द्वारा त्रुटि के निराकरण के उपरान्त सही आवेदन पत्र का मिलान / परीक्षण शिक्षण संस्थान स्तर पर किया जायेगा।

12- शिक्षण संस्थान द्वारा नये प्रवेशित छात्रों को फ्रेस एप्लीकेशन (Fresh Application) तथा पुराने प्रवेशित छात्रों को रिन्यू एप्लीकेशन (Renew Application) फार्म भराये जाने हेतु छात्रों को निर्देशित किया जायेगा एवं तदनुसार ही छात्रों के आवेदन पत्रों को सत्यापित / अग्रसारित किया जायेगा।

13- शिक्षण संस्थान द्वारा सभी छात्रों को उक्त योजना से अवगत कराया जायेगा। सभी कक्षाओं में शिक्षण संस्थान में उपलब्ध प्रचार माध्यमों के द्वारा एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये हैण्डबिल के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराया जायेगा तथा आवश्यकता पड़ने पर छात्रों को आनलाइन आवेदन करने की सुविधा संबंधित शिक्षण संस्थान द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी परन्तु किसी भी दशा में छात्रों का आवेदन पत्र एकत्रित कर स्वयं भरने का प्रयास नहीं किया जायेगा।

14- शिक्षण संस्थान द्वारा पात्र छात्रों का डाटा आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करने के उपरान्त आनलाइन सत्यापित विवरण की हार्डकापी, छात्रों द्वारा जमा आनलाइन फीडेड आवेदन पत्र के प्रिन्टआउट समस्त संलग्नकों सहित नियमावली में वांछित सत्यापन प्रमाण पत्र आदि संस्था के प्रमुख की संस्तुति सहित संबंधित जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराया जायेगा।

15- शिक्षण संस्थान द्वारा यदि किसी छात्र का गलत / फर्जी, त्रुटिपूर्ण आवेदन सत्यापित एवं अग्रसारित किया जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित शिक्षण संस्थान के प्राचार्य/ प्रबन्धक / नोडल अधिकारी (छात्रवृति) की होगी।

16- गलत/ फर्जी, त्रुटिपूर्ण आवेदन सत्यापित / अग्रसारित करने वाले तथा मास्टर डाटा में गलत सूचना भरने वाले शिक्षण संस्थानों के विरूद्ध नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत FIR दर्ज करायी जायेगी तथा शिक्षण संस्थान की मान्यता रद्द करने एवं शिक्षण संस्थान को काली सूची में डाले जाने की कार्यवाही की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- जिला विद्यालय निरीक्षक का उत्तरदायित्व

1- जिला विद्यालय निरीक्षक आनलाइन आवेदन भरने की मानीटरिंग करते हुए सभी शिक्षण संस्थाओं के प्राचार्य / प्रधानाचार्यों के माध्यम से सभी पात्र छात्रों से आनलाइन आवेदन कराना सुनिश्चित करेंगे।

2- शासन द्वारा निर्धारित समयावधि में यदि किसी शिक्षण संस्थान द्वारा आनलाइन डाटा सत्यापित एवं अग्रसारित नहीं किया जाता है तथा आवेदन पत्र की हार्डकापी निर्धारित समयान्तर्गत नहीं उपलब्ध करायी जाती है तो उसके विरूद्ध कठोर कार्यवाही करायी जायेगी।

3- जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा शिक्षण संस्था की मान्यता, वैधता एवं वर्गवार अनुमन्य सीटो के सापेक्ष आवेदकों की संख्या तथा शिक्षण संस्थान की कैटेगरी यथा-शासकीय, शासकीय सहायता प्राप्त या प्राइवेट शिक्षण संस्थान के निर्धारण आदि का परीक्षण करते हुए आनलाइन सत्यापन एवं डिजिटल हस्ताक्षर से निर्धारित समयसीमा के अन्तर्गत लॉक किया जायेगा। इसके साथ-साथ शिक्षण संस्थान द्वारा उपलब्ध करायी गयी आवेदन पत्रों की हार्डकापी पर भी अपनी संस्तुति करते हुए जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

4- जनपद के जिन शिक्षण संस्थाओं में नव प्रवेशित छात्रों की संख्या नवीनीकरण श्रेणी के छात्रों की संख्या से अधिक हो, उन सभी संस्थाओं की भी विशेष जांच छात्रवृत्ति स्वीकृत करने से पूर्व कराते हुए जांच का विवरण स्कॉलरशिप पोर्टल के Inspection Module में अंकित करायेंगे।

5- जनपद के जिन शिक्षण संस्थाओं द्वारा विगत वर्ष में अग्रसारित किये गये छात्रों में से एक भी छात्र का आवेदन पत्र वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में नवीनीकरण श्रेणी में अग्रसारित नहीं किया गया है अथवा अग्रसारित किये गये छात्रों की संख्या जनपद के औसत से भी कम है, की विषेश जांच कर जांच रिपोर्ट के विवरण को स्कॉलरशिप पोर्टल के Inspection Module में अंकित करायेंगे। जांच रिपोर्ट की एक प्रति कार्यालय में कम से कम 01 वर्ष तक सुरक्षित रखेंगे। जांच में पूर्णतया संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की संस्तुति करेंगे।

4- जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी का उत्तरदायित्व

1- नियमावली में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा आनलाइन शुद्ध डाटा के अभ्यर्थियों की सूची एवं शिक्षा अधिकारियों से प्राप्त आवेदन पत्रों की हार्डकापी संलग्नकों सहित जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत कर छात्रों की सूची की हार्डकापी एवं नोटशीट पर स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।

2- जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा परीक्षणोपरान्त छात्रवृत्ति की स्वीकृति/अस्वीकृति हार्डकापी पर हस्ताक्षर करते हुए प्रदान की जायेगी, जिसके आधार पर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी समिति द्वारा निर्धारित समयसीमा में स्वीकृत डाटा को अपने डिजिटल सिग्नेचर से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

आनलाइन संस्तुत एवं लॉक करेंगे एवं अस्वीकृत डाटा को रिजेक्ट करेंगे। कोई भी डाटा पेण्डिंग नहीं रखा जायेगा।

3- जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के डिजीटल सिग्नेचर से आनलाइन संस्तुत एवं लॉक डाटा में किसी स्तर से बदलाव नहीं किया जायेगा। उक्तानुसार लॉक डाटा के आधार पर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (स्टेट यूनिट) लखनऊ में नियमावली में वर्णित रीति से डाटा को प्रोसेस कराकर केवल मांग जनरेट की जायेगी। आनलाइन स्वीकृत कर लॉक किये गये डाटा की शुद्धता एवं अस्वीकृत डाटा को रिजेक्ट करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की होगी।

4- जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के डिजीटल सिग्नेचर से संस्तुत एवं लॉक किये गये डाटा के आधार पर यदि किसी अपात्र अभ्यर्थी को छात्रवृत्ति की धनराशि का अन्तरण हो जाता है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति की होगी।

5- जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति एवं अनुश्रवण समिति की बैठक निर्धारित अन्तराल पर कराना सुनिश्चित करायी जायेगी।

6- जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष सम्पूर्ण अभिलेख एवं विवरण प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी का ही होगा।

7- शिक्षण संस्थान स्तर पर एवं जिला स्तर पर आवश्यक अभिलेखों का एकत्रीकरण एवं संरक्षीकरण नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

8- छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों के सम्बन्ध में आवश्यक अभिलेख जॉच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी का होगा।

9- छात्रवृत्ति के सम्बन्ध में अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त होने पर जिलाधिकारी के माध्यम से जॉच समिति / जॉच अधिकारी नामित कराकर समयबद्ध जॉच कराने का उत्तरदायित्व जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी का होगा।

10- छात्रवृत्ति की धनराशि का अन्तरण छात्रों के खातों में पी0एफ0एम0एस0 साफ्टवेयर के माध्यम से सीधे छात्र के खातों में NEFT/RTGS से राज्य मुख्यालय स्थित कोषागार जवाहर भवन, लखनऊ से करने के उपरान्त उनकी सूची का रख रखाव जनपद स्तर पर जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारियों द्वारा किया जायेगा एवं आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक सभी वांछित अभिलेख आडिट हेतु प्रस्तुत किया जायेगा।

11- जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, समाज कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर कम से कम 10 प्रतिशत शिक्षण संस्थाओं तथा 05 प्रतिशत छात्रों का रैंडम आधार पर चयन कर भौतिक निरीक्षण कराना सुनिश्चित करेंगे। रैंडम

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

लिस्ट स्कॉलरशिप पोर्टल से ही जनरेट किया जा सकेगा, यह सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध होगी। निरीक्षण रिपोर्ट का विवरण स्कॉलरशिप पोर्टल के Inspection Module में अंकित किया जायेगा तथा निरीक्षण रिपोर्ट कार्यालय में कम से कम 01 वर्ष तक सुरक्षित रखा जायेगा। आवश्यकतानुसार नवीनीकरण श्रेणी के अग्रसारित तथा Missing छात्रों की भौतिक जांच छात्र द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये पते तथा अंकित मोबाईल नंबर अथवा बैंक रिकार्ड के आधार पर कराया जायेगा।

12- जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष निर्धारित प्रारूप पर रिपोर्ट प्रस्तुत किया जायेगा। इस प्रारूप में छात्रवृत्ति का सारांश अंकित किया जायेगा। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि प्रारूप में उल्लिखित सभी बिन्दुओं के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी पत्रावली पर प्रस्तुत करें, ताकि जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति समस्त तथ्यों पर सम्यक विचारोपरान्त संस्थाओं के नवीनीकरण श्रेणी एवं नवप्रवेशित श्रेणी के छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृति करने के सम्बन्ध में निर्णय ले सके।

13- जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि ऐसे छात्र, जिनके आवेदन पत्र राज्य स्तरीय स्क्रूटनी में संदिग्ध पाये गये थे एवं जिनके परीक्षणोपरान्त छात्रवृत्ति भुगतान की संस्तुति उनके द्वारा की जा रही है, के कारणों का विवरण जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति के समक्ष प्रस्तुत हो जाये। इसी प्रकार ऐसे छात्र, जिनके आवेदन पत्र राज्य स्तरीय स्क्रूटनी में सही पाये गये थे और जिनकी परीक्षणोपरान्त उनके द्वारा भुगतान की संस्तुति नहीं की जा रही है, के कारणों का विवरण भी जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के समक्ष प्रस्तुत हो जाये। जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया जायेगा कि ऐसे सभी छात्रों के भुगतान को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के कारणों को उनके द्वारा अपने डिजिटल सिग्नेचर से स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाईन अंकित कर दिया गया है।

14- जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि छात्रवृत्ति के प्रस्ताव का पत्रावली में जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी का हस्ताक्षर प्राप्त कर स्कॉलरशिप पोर्टल पर स्कैन कराकर निर्धारित तिथि तक अपलोड हो जाये।

5- जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति का उत्तरदायित्व

1- जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति, छात्रवृत्ति की स्वीकृति से पूर्व शिक्षा अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराये गये छात्र के आवेदन पत्रों एवं संलग्नकों की हार्डकापी से शिक्षण संस्थान एवं छात्र के विवरण आदि का मिलान एवं स्थलीय भौतिक सत्यापन / जॉच अपने स्तर से रैण्डमली करायेगी।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

2- जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी द्वारा पूर्वदशम छात्रवृत्ति की स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किये गये छात्रों की सूची की हार्डकापी एवं तत्सम्बन्धी नोटशीट छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति के प्रत्येक सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित होगी।

3- एन0आई0सी0 राज्य इकाई लखनऊ द्वारा प्रेषित सस्पेक्ट डाटा में छात्रों के आवेदन में त्रुटि पाये जाने पर शिक्षण संस्था द्वारा आवेदन पत्र की त्रुटियों का निराकरण समयान्तर्गत करा दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा संबंधित छात्रों को छात्रवृत्ति स्वीकृति किये जाने की लिखित अनुमति प्रदान की जायेगी एवं ऐसे छात्रों का डाटा पृथक से संरक्षित किया जायेगा।

4- नवीनीकरण एवं नवप्रवेशित छात्रों के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्धारित जांच कराकर जांच रिपोर्ट स्कॉलरशिप पोर्टल के Inspection Module में अंकित होना सुनिश्चित कराया जायेगा।

5- आवश्यकतानुसार नवीनीकरण श्रेणी के अग्रसारित तथा Missing छात्रों की भौतिक जांच छात्र द्वारा आवेदन पत्र में दिये गये पते तथा अंकित मोबाईल नंबर अथवा बैंक रिकार्ड के आधार पर कराया जायेगा।

6- जनपद स्तर पर करायी गयी जांचों में जिन संस्थाओं के द्वारा फर्जी छात्रों के आवेदन पत्र को अग्रसारित करने के तथ्य की पुष्टि होती है, उन्हें काली सूची में डालने की संस्तुति निदेशक, समाज कल्याण को किया जायेगा। इसके अतिरिक्त संबंधित शिक्षण संस्थाओं की संबद्धता / मान्यता निरस्त करने के संबंध में भी नियमानुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी।

6- एन0आई0सी0, राज्य इकाई, लखनऊ का उत्तरदायित्व

1. नियमावली एवं संबंधित दिशा-निर्देश छात्रवृत्ति प्रबन्धन प्रणाली की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराना।
2. जनपदवार मास्टर डाटाबेस में अंकित समस्त विवरण निदेशालय की लॉगिन पर प्रदर्शित कराना जिसमें शिक्षण संस्थाओं की श्रेणी (शासकीय, शासकीय सहायता प्राप्त एवं प्राइवेट) भी प्रदर्शित हो।
3. छात्रों द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत भरे गये आनलाइन आवेदन के निर्धारित कालम में अंकित विवरण मुख्यत: जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बोर्ड नामांकन (इनरोलमेन्ट) क्रमांक एवं बोर्ड नामांकन (इनरोलमेन्ट) का नवीनीकरण क्रमांक आदि का परीक्षण स्क्रूटनी संबंधित विभागों की वेबसाइट से किया जायेगा। इसके अतिरिक्त निम्न बिन्दुओं पर भी परीक्षण किया जायेगा:-
   (i) डुप्लीकेट, फर्जी, त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों की शार्टिंग।
   (ii) नवीनीकरण एवं फ्रेश छात्रों के डाटा को आपस में मिलान करना।
   (iii) नवीनीकरण हेतु अर्ह छात्रों में से फ्रेश में आवेदन करने वाले छात्रों को अलग करना।
   (iv) आवेदन पत्र में अंकित आय की धनराशि एवं आवेदक के माता-पिता/अभिभावक के नाम से मिलान राजस्व परिषद / ई-डिस्टिक्ट की वेबसाइट से किया जाना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

(v) एक ही आय प्रमाण पत्र के कई बार प्रयोग किये जाने का मिलान।

(vi) जाति प्रमाण पत्र में अंकित जाति एवं नाम का आवेदन पत्र में अंकित जाति व नाम से मिलान।

(vii) एक ही जाति प्रमाण पत्र के कई बार प्रयोग किये जाने का मिलान।

(ix) जिन छात्रों का नाम / पिता का नाम / छात्र की जन्मतिथि / शिक्षण संस्थान आदि एक समान हैं।

(x) जिन छात्रों के द्वारा आवेदन पत्र में बैंक खाता संख्या, जाति, आय प्रमाण पत्र आदि में 0/00/111/2222/1111/..... आदि फर्जी संख्याएं भरी गयी हैं।

(xi) - कक्षा-9 के बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर/इनरोलमेण्ट नंबर एवं कक्षा 10 के रजिस्ट्रेशन नंबर, इनरोलमेण्ट नंबर के नवीनीकरण का मिलान सम्बन्धित शिक्षा परिषद की वेबसाइट से किया जायेगा।

(xii) राज्य एन0आई0सी0 स्तर पर स्क्रूटनी के उपरान्त जो आवेदन पत्र सही पाये जायेंगे, उनकी सूची वरीयता क्रम (शासकीय, शासकीय सहायता प्राप्त एवं निजी क्षेत्र की मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं) में संस्थावार तैयार कर उसे छात्रवृत्ति सम्बन्धी वेबसाइट (पब्लिक डोमेन) पर सभी संबंधित की जानकारी हेतु अपलोड किया जायेगा।

4. ऐसे अल्पसंख्यक छात्रों का विवरण, जिनके द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग में आवेदन किया गया हो, को अल्पसंख्यक विभाग के लागिन पर समयान्तर्गत उपलब्ध कराते हुए पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय के लागिन पर भी उपलब्ध करा दिया जाय एवं ऐसे छात्रों को एस0एम0एस0 द्वारा उनके मोबाइल नंबर पर अवगत भी कराया जाये।

5. स्क्रूटनी में प्राप्त छात्रों के शुद्ध एवं संदेहास्पद डाटा के आवेदन पत्रों में अंकित बैंक संबंधी विवरण यथा- खाताधारक का नाम, बैंक व बैंक शाखा का नाम, आई0एफ0एस0 कोड, बैंक खाता संख्या आदि का मिलान पी0एफ0एम0एस0 साफ्टवेयर के माध्यम से निर्धारित समय-सीमा के अन्दर कराया जायेगा।

6. राज्य एन0आई0सी0 एवं पी0एफ0एम0एस0 साफ्टवेयर से मिलान के पश्चात जो आवेदन पत्र संदेहास्पद श्रेणी में आयेंगे उन्हें छात्रवार एवं संस्थावार जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के लागिन पर एवं निदेशालय की लागिन पर कारण सहित प्रेषित किया जायेगा तथा इसकी सूचना संबंधित छात्रों को आवेदन पत्र में अंकित मोबाइल नंबर पर एस0एम0एस0 द्वारा दी जायेगी। केवल संदेहास्पद श्रेणी के छात्रों के आवेदन पत्र ही त्रुटियों के सुधार हेतु वेबसाइट पर एडिटिंग हेतु Enable किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

7. राज्य एन0आई0सी0 द्वारा संदेहास्पद डाटा का विवरण छात्रवृत्ति प्रबन्धन प्रणाली की वेबसाइट पर सर्वसाधारण के जानकारी हेतु अपलोड किया जायेगा तथा छात्रों को उनके आवेदन पत्र की त्रुटियों के सुधार हेतु 15 दिन का समय दिया जायेगा।

8. राज्य एन0आई0सी0 द्वारा निम्न स्तरों पर कार्यवाही किये जाने की सूचना भी छात्रों को एस0एम0एस0 से दी जायेगी :-

   1- ऑनलाइन आवेदन पत्र Submit करने पर।

   2- राज्य स्तरीय स्क्रूटनी / पी0एफ0एम0एस0 जांच में आवेदन संदेहास्पद पाये जाने पर।

   3- शिक्षण संस्थान द्वारा छात्र का आवेदन पत्र आनलाइन सत्यापित एवं अग्रसारित करने पर।

   4- जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति द्वारा छात्रवृत्ति स्वीकृत करने पर।

   5- छात्र के बचत बैंक खाता में छात्रवृत्ति की धनराशि अन्तरित होने पर।

   6- ट्रांजेक्शन फेल होने के कारण छात्र के बैंक खाते में धनराशि का अन्तरण न होने पर।

9. छात्रों द्वारा त्रुटियों के सुधार हेतु दिये गये अन्तिम तिथि के उपरान्त राज्य एन0आई0सी0 द्वारा छात्रों से सम्बन्धित समस्त डाटा शिक्षण संस्थान के लागिन पर उपलब्ध कराया जायेगा।

10. जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी के डिजिटल सिग्नेचर से लॉक किये गये आवेदन पत्रों के आधार पर राज्य एन0आई0सी0 स्तर पर पूर्वदेशम छात्रवृत्ति की मांग सृजित की जायेगी, उक्त मांग में पात्र पाये गये सभी छात्रों की एक सूची नियमावली में निर्दिष्ट वरीयता के आधार पर अवरोही क्रम में तैयार की जाय, तथा उपलब्ध बजट की सीमा तक निर्धारित मानकों / निर्देशों के अनुरूप बेनीफिशरीज फाइल तैयार कर उसे छात्रवृत्ति संबंधी वेबसाइट पर अपलोड करते हुए सृजित मांग का कोषागार बिल निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

11. राज्य एन0आई0सी0 द्वारा निदेशालय स्तर पर गठित समिति के उपयोग हेतु छात्रवृत्ति साफ्टवेयर में आवश्यकतानुसार ऐसी व्यवस्था की जायेगी जिससे समिति को संयुक्त रूप से बेनीफिशरी फाइल, ट्रांजेक्शन फाइल एवं कोषागार के सर्वर पर (छात्रवृत्ति / कोषागार / पी0एफ0 एम0एस0 सर्वर पर) डाटा को ट्रान्सफर करने का विकल्प उपलब्ध कराया जायेगा।

12. राज्य एन0आई0सी0 द्वारा छात्रों को धनराशि अन्तरण से सम्बन्धित विवरण को जनपद / शिक्षण संस्थान / छात्रवार जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी / निदेशालय के लागिन पर एवं छात्रवृत्ति प्रबन्धन प्रणाली की वेबसाइट पर सर्वसाधारण हेतु अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जायेगा।

13. छात्रों के बैंक खातों में धनराशि पी0एफ0एम0एस0 सर्वर के माध्यम से अन्तरित कराये जाने हेतु कोषागार से प्राप्त टोकन को पी0एफ0एम0एस0 सर्वर पर फीड कराया जायेगा।

14. राज्य एन0आई0सी0 द्वारा योजना में उपलब्ध बजट के आधार पर जो बेनीफिशरी फाइल जिस वरीयताक्रम के आधार पर तैयार की जायेगी, उसका छात्रवार / संस्थावार / जनपदवार विवरण निदेशालय की लागिन पर अपलोड किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

15. राज्य एन0आई0सी0 स्तर पर योजना से सम्बन्धित समस्त प्रकार के डाटा को सुरक्षित रखा जायेगा तथा हार्डडिस्क में निदेशालय को भी उपलब्ध कराया जायेगा।

7- निदेशालय पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश स्तर पर गठित समिति का उत्तरदायित्व

1- निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा एन0आई0सी0 स्तर से निर्धारित साफ्टवेयर पर उपलब्ध कराये गये प्राविधान के माध्यम से पूर्वदशम् छात्रवृत्ति की धनराशि अन्तरण के लिये बेनीफिशरी एवं ट्रांजेक्शन फाइल डिजीटल सिग्नेचर द्वारा जनरेट की जायेगी।

2- आहरण वितरण अधिकारी के द्वारा उक्तानुसार जनरेटेड बेनीफिशरी फाइल के आधार पर सभी जनपदों का यथासंभव एक संकलित बिल बनाया जायेगा। उक्त बिल को जवाहर भवन, कोषागार में प्रस्तुत कर ट्रेजरी टोकन प्राप्त किया जायेगा। इसी ट्रेजरी टोकन नंबर को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की वेबसाइट पर फीड करके ट्रांजेक्शन फाइल जनरेट की जायेगी।

3- समिति के द्वारा जनरेट की गयी ट्रांजेक्शन फाइल के आधार पर पी0एफ0एम0एस0 साफ्टवेयर के माध्यम से छात्रवृत्ति की धनराशि का अन्तरण NEFT/RTGS से सीधे छात्रों के बचत बैंक खातों में सुनिश्चित किया जायेगा।

4- एन0आई0सी0 राज्य इकाई के द्वारा निर्धारित साफ्टवेयर पर उपलब्ध कराई गयी व्यवस्था के अनुसार समिति द्वारा जनरेटेड बेनीफिशरी एवं ट्रांजेक्शन फाइल में कोई भी बदलाव नहीं किया जायेगा।

5- समिति द्वारा उक्तानुसार जनरेटेड बेनीफिशरी फाइल को सर्वर पर अपलोड कराने, कोषागार में बिल तैयार कर प्रस्तुत करने, ट्रेजरी टोकन प्राप्त करने एवं टोकन छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की वेबसाइट पर फीड कराने का कार्य सम्पादित किया जायेगा।

6- वित्त नियन्त्रक के द्वारा पूर्वदशम् छात्रवृत्ति की धनराशि अन्तरण, फेल्ड ट्रांजेक्शन एवं बैंकों से अवितरित वापस प्राप्त धनराशि आदि से सम्बन्धित समस्त आवश्यक अभिलेखों का रख रखाव किया जायेगा।

7- कोषागार के ई-पेमेण्ट प्रक्रिया के तहत पी0एफ0एम0एस0 साफ्टवेयर के माध्यम से प्रेषित छात्रवृत्ति की धनराशि का अन्तरण पात्र छात्रों के खातों में न होने की दशा में बैंकों से फेल्ड ट्रांजेक्शन / अवितरित वापस प्राप्त धनराशि को उसी वित्तीय वर्ष में निर्धारित तिथि तक शासन के निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही कराते हुए अवशेष धनराशि राज्य सरकार के रिसीट हेड में जमा कराने का उत्तरदायित्व निदेशालय स्तर पर गठित समिति का होगा।

8- पी0एफ0एम0एस0 सर्वर से संबंधित अधिकारियों के उत्तरदायित्व

1- राज्य एन0आई0सी0 द्वारा छात्रों द्वारा आनलाइन आवेदन में अंकित किये गये बैंक सम्बन्धी विवरण यथा- खाताधारक का नाम, बैंक का नाम / शाखा का नाम, आई0एफ0एस0 कोड, बैंक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

खाता संख्या आदि का मिलान निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत कराते हुए "शुद्ध एवं सन्देहास्पद डाटा को कैटेगरीवार राज्य एन0आई0सी0/निदेशालय को उपलब्ध कराया जाना।

2- पी0एफ0एम0एस0 सर्वर पर उपलब्ध बैंकों के मास्टर डाटा में अंकित न होने वाले बैंक / बैंक शाखाओं के नाम एवं आई0एफ0एस0 कोड अंकित किया जाना।

3- पी0एफ0एम0एस0 प्रभारी द्वारा बेनीफिशरी फाईल एवं ट्रांजेक्शन फाईल बनाने एवं उसको एस0एफ0टी0पी0 सर्वर पर एन0आई0सी0 द्वारा भेजने हेतु समस्त तकनीकी पैरामीटर का विवरण एवं आवश्यक तकनीकी सहायता एन0आई0सी0 राज्य इकाई को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- एन0आई0सी0 राज्य इकाई द्वारा भेजे गये बेनीफिशरी एवं ट्रांजेक्शन फाइल के सापेक्ष रिस्पांस फाईल विलम्बतम् 72 घंटे के अंदर पी0एफ0एम0एस0 स्तर से एन0आई0सी0 सर्वर, उत्तर प्रदेश एवं निदेशालय / जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारियों के लागिन पर उपलब्ध करा दिया जाय।

9-भारतीय स्टेट बैंक एवं अन्य बैंकों का उत्तरदायित्व

1- छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का बचत बैंक खाता ''शून्य बैलेंस'' पर खोले जाने के निर्देश हैं। अतएव छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले खातेदारों के खातों में अंतरित की जाने वाली धनराशि के ट्रांजेक्शन को निम्नलिखित आधारों पर असफल नहीं किया जायेगा :-

   अ- बचत खाते में न्यूनतम् धनराशि का न होना।

   ब- के0वाई0सी0 फार्म का न भरा जाना।

   स- खाते से नियमित परिचालन न होना।

2- इस सम्बन्ध में भरतीय स्टेट बैंक सहित सभी अन्य बैंकों को आवश्यक निर्देश प्रदेश में स्थित समस्त शाखाओं में प्रचारित करायेंगे।

3- इसके उपरान्त भी यदि कोई धनराशि का ट्रांजेक्शन / क्रेडिट असफल होता है तो उसके कारण का स्पष्ट उल्लेख करते हुए ऐसे छात्र का विवरण एक सप्ताह में भारतीय स्टेट बैंक के माध्यम से राज्य एन0आई0सी0 / निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।